केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं. 229/टीएल/2024 दिनांक: 21.8.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, कोर–4, स्कोप कॉम्प्लैक्स 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "उत्तर–पूर्वी प्रदेश विस्तार योजना–XVI (एनईआरईएस XVI) के लिए पारेषण योजना" के अधीन विद्युत के पारेषण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ड) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का कार्यक्षेत्र	एससीओडी प्रभावी तारीख
1.	▪ गोगामुख सबस्टेशन 400/220/132 केवी की स्थापना ○ 500एमवीए, 400/220केवी आईसीटी: 2 नंबर ○ 200एमवीए, 220/132केवी आईसीटी: 2 नंबर ○ 420केवी, 125एमवीएआर बस रिएक्टर: 2 नंबर ○ 400केवी आईसीटी बे: 2 नंबर ○ 220केवी आईसीटी बे: 4 नंबर ○ 132केवी आईसीटी बे: 2 नंबर ○ 400केवी बस रिएक्टर बे: 2 नंबर ○ 220केवी बस कप्लर बे: 1 नंबर ○ 220केवी ट्रांसफर बस कप्लर बे: 1 नंबर ○ 132केवी ट्रांसफर बस कप्लर बे: 1 नंबर ▪ 400केवी लाइन बे: 4 नंबर [लोअर सुबनसिरी – विश्वनाथ चारिआलि 400केवी (ट्विन लैपविंग) 2xडी/सी लाइन का एक डी/सी लाइन (लाइन–1 का सीकेटी–1 एवं सीकेटी–2) के लीलो के समापन के लिए] ▪ 220केवी लाइन बे: 2 नंबर [बिहपुरिया – गोगामुख 220केवी डी/सी लाइन (एईजीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली लाइन) के समापन के लिए] ▪ 132केवी लाइन बे: 4 नंबर [उत्तर लखीमपुर – धेमाजी 132केवी नई डी/सी लाइन (एईजीसीएल द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला लीलो) के एक सर्किट के लीलो के समापन हेतु 2 नंबर एवं गोगामुख (आईएसटीएस) – गेरुकामुख (अरुणाचल प्रदेश) 132केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए 2 नंबर] **भावी विस्तार के लिए अतिरिक्त स्थान:** ▪ 400/220केवी, 1x500 एमवीए आईसीटी – 1 नंबर (दोनों स्तरों पर संबद्ध बे के साथ) ▪ 220/132केवी, 1x200एमवीए आईसीटी – 1 नंबर (दोनों स्तरों पर संबद्ध बे के साथ) ▪ संबद्ध बे के साथ 420केवी, 1x125एमवीएआर बस रिएक्टर ▪ भावी लाइनों के लिए 400केवी लाइन बे के 12 नंबर ○ दिबांग – गोगामुख 2xडी/सी लाइनों के समापन के लिए 400केवी लाइन बे के 4 नंबर ○ गोगामुख – विश्वनाथ चारिआलि 400केवी डी/सी (क्वाड) लाइन के समापन के लिए 400केवी लाइन बे (2x80एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ) का 2 नंबर ○ भावी लाइनों के लिए 400केवी लाइन बे (स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ) का 6 नंबर ▪ भावी लाइनों के लिए 220केवी लाइन बे का 6 नंबर ▪ भावी लाइनों के लिए 132केवी लाइन बे का 6 नंबर ▪ 220केवी बस सेक्शनलाइजर बे: 1 सेट ▪ 220केवी बस कप्लर बे: 1 नंबर ▪ 220केवी ट्रांसफर बस कप्लर बे: 1 नंबर ▪ 132केवी बस सेक्शनलाइजर बे: 1 सेट ▪ 132केवी ट्रांसफर बस कप्लर बे: 1 नंबर	एसपीए पर हस्ताक्षर की तारीख से 30 मास (30.11.2026)
2	▪ गेरुकामुख (अरुणाचल प्रदेश) 132केवी एस/एस पर विस्तार कार्य ▪ 132केवी लाइन बे: 2 नंबर (गोगामुख (आईएसटीएस) – गेरुकामुख (अरुणाचल प्रदेश) 132केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए)	
3	गोगामुख (आईएसटीएस)–गेरुकामुख (अरुणाचल प्रदेश) 132केवी डी/सी (जेब्रा) लाइन	
4	गोगामुख एस/एस पर लोअर सुबनसिरी– विश्वनाथ चारिआलि 400 केवी (ट्विन लैपविंग) 2xडी/सी लाइनों के एक डी/सी (लाइन–1 का सीकेटी–1 एवं सीकेटी–2) का लीलो	

नोट:

(क) डीओपी, अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर 132केवी लाइन बे के कार्यान्वयन के लिए गेरुकामुख (अरुणाचल प्रदेश) एस/एस पर स्थान प्रदान करेगा। टीएसपी, गेरुकामुख (अरुणाचल प्रदेश) एस/एस पर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण और गेरुकामुख (अरुणाचल प्रदेश) एस/एस में संबद्ध सिविल कार्यों के साथ पहले से ही संस्थापित अवसंरचनाओं के विखंडीकरण और उत्थापन के संबंध में डीओपी, अरुणाचल प्रदेश को रु. 39.36 लाख प्रदान करेगा।

(ख) बिहपुरिया (एईजीसीएल) – गोगामुख (आईएसटीएस) 220 केवी डी/सी लाइन, एईजीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

(ग) उत्तर लखीमपुर (एईजीसीएल)–धेमाजी (एईजीसीएल) 132 केवी नई डी/सी लाइन के एक सर्किट का लीलो, एईजीसीएल द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 18.6.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 229/टीएल/2024 में दिनांक 20.8.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट https://www.techno.co.in/public/uploads/2/2024-06/techno_application_for_tl_final1.pdf पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **3.9.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक **5.9.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव